

District Registry Office, Purnea Sadar

Non Encumbrance Certificate

प्रमाण पत्र सं० 2214

RTPS No.:
030113091002402214

चूंकि श्री ARUN KUMAR JAISWAL ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संबंध में निबन्धित संव्यवहारों और अवमारों का विवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।
एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवमारों के बारे में बही 1 में और उससे संबंधित अनुक्रमणियों में ता० 01/01/2011 से ता० 20/07/2024 तक तलाशी की गयी और इराकी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवमारों का पता चला है-

क्रम संख्या	कार्यालय	अंचल	मौजा/वार्ड नं०	खाता	खेसरा	रकबा	दस्तावेज का प्रकार	मूल्य	जिल्द संख्या	पृष्ठ सं	पृष्ठ तक	वर्ष
1	DSRO PURNIA	PURNIA EAST	MADHOPARA 108		269/1891			0				
2	DSRO PURNIA	PURNIA EAST	MADHOPARA 108		261/2087			0				
3	DSRO PURNIA	PURNIA EAST	MADHOPARA 108	121,304,736	263,264,269	94.65 DEC		0				

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवमारों को छोड़कर उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अवमार का पता नहीं चला है। निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :-

नाम - ABHISEKH KUMAR SINHA
U D C

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्नलिखित व्यक्ति ने की

नाम - ISHWAR DAS
O S



District Registry
Office, Purnea
Sadar

तारीख -

22/07/2024

कार्यालय -

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी-

- इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवमार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रांजेक्शन) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।
- निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो तो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवमारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बही और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेंगी।
- किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।
- और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवमारों के लिए किसी भी तरह का कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

पत्रांक:- 2214

दिनांक:- 22/07/2024

शाखा प्रबंधक CANARA BANK के पत्र दिनांक 20/07/2024

के आलोक में प्रेषित।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

22 JUL 2024